

प्रपत्र "ढ"—एक
(नियम 54 का उपनियम (3) देखिये)

प्रपत्र-1

पारिवारिक पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती/कु० _____

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड विधान सभा,
विधान भवन, देहरादून।

विषय— उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेन्शन) अधिनियम, 2008 के अधीन पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम के अधीन मैं पारिवारिक पेन्शन प्राप्त करने का हकदार हूँ। अतः मैं अपना तथा मृत विधान सभा सदस्य का विवरण निम्नवत् प्रेषित कर रहा हूँ/रही हूँ। अतः मुझे पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत करने की कृपा करें :-

1. मृत सदस्य का नाम _____
2. मृत सदस्य के पिता/पति का नाम _____
3. मृत सदस्य द्वारा धारित : (विधान सभा/विधान परिषद)
(क) अन्तिम पद _____
(ख) विधान सभा क्षेत्र का नाम _____
(ग) कार्यालय/संस्था का नाम _____
4. मृत सदस्य की मृत्यु का दिनांक _____
(मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है)
5. क्या मृत सदस्य कोई अन्य पेन्शन पा रहा था अथवा नहीं, यदि हाँ तो—
(क) कोषागार/बैंक का नाम, जहाँ से पेन्शन आहरित करता था/करती थी _____
(ख) विभाग का नाम, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे/हुई थी _____
6. प्रार्थी का विवरण, जिसको पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जायेगी :
(क) नाम _____
(ख) मृत सदस्य से सम्बन्ध _____ (ग) जन्म तिथि _____
(घ) स्थायी पता _____
(ङ) पत्र-व्यवहार का पता _____

7. प्रार्थी की मृत्यु के कारण जीवनकाल अवशेष देयों के भुगतान हेतु नामित व्यक्ति का विवरण :

(क) नाम _____

(ख) मृतक से सम्बन्ध _____

(ग) पता _____

8. मृत सदस्य के परिवार का विवरण :

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सदस्य से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6

9. (क) कोषागार का नाम, जहाँ से पेन्शन भुगतान अपेक्षित है _____

(ख) कोषागार के बाद उस बैंक का नाम, जहाँ से पेन्शन प्राप्त करना चाहती है/चाहते है _____

(ग) बैंक खाता संख्या _____

10. अन्तिम पारिवारिक पेन्शन/की धनराशि, यदि विभाग से स्वीकृत तथा भुगतान हुआ हो तो—

(क) अन्तिम पारिवारिक पेन्शन की धनराशि रु० _____

11. (क) क्या मृत सदस्य को सरकारी आवास आवंटित था _____

(ख) यदि हाँ, तो मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार द्वारा भवन खाली करने की अनुमानित अवधि _____

(ग) किराये की दर प्रतिमाह (1) सामान्य दर रु० _____ (2) मानक दर रु० _____

(घ) मृत्यु के उपरान्त की अवधियों के किराये का नियमानुसार भुगतान (1) ट्रेजरी चालान द्वारा, अथवा (2) आगणित कुल धनराशि रु० _____ का समायोजन पेन्शन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

घोषणा

मैं _____ पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री स्व० श्री /
श्रीमती _____ को (विभाग का नाम) _____
_____ द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेन्शन स्वीकार करते हुए यह
घोषित करती/करता हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेन्शन से अधिक धनराशि किसी
त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षक में तथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी
में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(हस्ताक्षर प्रार्थी या अंगूठा निशान)

दो साक्षियों, जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये—

1. नाम _____ हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

पता _____

2. नाम _____ हस्ताक्षर _____

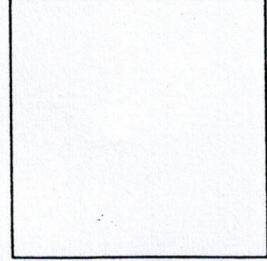
पदनाम _____

पता _____

प्रपत्र-1, भाग-2

प्रार्थी का विवरण

1. मृत सदस्य की पत्नी/आश्रित का पासपोर्ट आकार में सत्यापित एकल फोटो



2. मृत सदस्य का-

(क) नाम व पदनाम _____

(ख) प्रदेश का नाम (जिस प्रदेश के सदस्य रहे) _____

(ग) कार्यालय/संस्था का नाम _____

3. आवेदक के-

(क) नमूने के हस्ताक्षर 1 _____

अथवा 2 _____

अंगूठा निशान 3 _____

(ख) अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

(ग) वैयक्तिक पहिचान चिन्ह 1.

2.

(घ) ऊँचाई

4. सदस्य की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेन्शन हेतु-

(क) प्रार्थी का नाम _____

(ख) मृत सदस्य से सम्बन्ध _____

5. मृत सदस्य के जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में पारिवारिक पेन्शन प्राप्तकर्ता के-

(क) नमूने के हस्ताक्षर 1 _____

अथवा 2 _____

अंगूठा निशान 3 _____

(ख) अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

(ग) जन्म तिथि-

(घ) वैयक्तिक पहिचान चिन्ह

1.

2.

(ङ) ऊँचाई

हस्ताक्षर (समक्ष उच्च प्राधिकारी)

प्रमुख सचिव
(सील सहित)

नोट- (1) अंगूठा एवं अंगुलियों के निशान के लिए पुरुष के बायें हाथ के तथा महिला के दायें हाथ के निशान लिये जायें।

(2) भाग-दो में दी गई समस्त सूचनायें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जायें।

प्रपत्र-1, भाग-3
सदस्य का इतिहास

मृत सदस्य का नाम व पदनाम _____

क्र० सं०	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जाय) से तक (दिनांक)	पदनाम सदस्य विधान सभा/परिषद्	यदि कोई अवधि पेन्शन हेतु अर्ह नहीं है, तो उसका कारण सहित विवरण दिया जाय
1	2	3	4

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता, _____

नोट- उपरोक्त विवरण मृत सदस्य के उत्तराधिकारी द्वारा स्वयं भरा जायेगा, जिसका सत्यापन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा किया जायेगा।

भाग-चार

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ से
_____ तक और _____ से _____ तक उ०प्र०/
उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य रहे/रही।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा।

भाग-पाँच

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तराखण्ड विधान सभा

श्री/श्रीमती/कुमारी _____ को दिनांक _____
से _____ रु० (_____) मात्र प्रतिमास की पारिवारिक
पेन्शन स्वीकृत की जाती है।

हस्ताक्षर

स्वीकृति अधिकारी

पदनाम _____